अति महत्वपूर्ण
अत्यावश्यक

बिहार सरकार
<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 338348 पटना, दिनांक 21.11.17
ग्रा.वि. -12/ले.वि.-35/2017

प्रेषक,

अनुराग कौशल सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त
(पटना, कैमूर, जहानाबाद, पूर्वी चम्पारण, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर एवं लखीसराय को छोड़कर) ।

विषय:- **बैंक खातों में संचित राशि की समीक्षा कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 5819 दिनांक 19.08.17 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 5593 दिनांक 11.08.17, 5903 दिनांक 23.08.17, 6071 दिनांक 30.08.17 एवं 7129 दिनांक 05.09.17 के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से संबंधित बैंक खातों में संचित राशि से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र A, B एवं C में Hard Copy तथा Soft Copy (Excel File) में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । नवादा, वैशाली, प0 चम्पारण, शिवहर, भागलपुर, दरभंगा एवं शेखपुरा जिले से प्राप्त प्रतिवेदन में साफ्ट कॉपी संलग्न नहीं है । अररिया एवं जमुई जिले से प्राप्त सी.डी. ब्लैंक है ।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव द्वारा बैंक खातों में संचित राशि से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने को लेकर काफी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है ।

<u>निदेशानुसार अनुरोध है कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से संबंधित बैंक खातों में संचित राशि से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र A, B एवं C में Hard Copy तथा Soft Copy (Excel File- जिला स्तर पर एक सी.डी.) में दिनांक 24.11.17 को होने वाली मासिक समीक्षात्मक बैठक में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।</u>

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 21/11/17
(अनुराग कौशल सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

eshakti 01